रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 259] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 10, 1972/आश्विन 18, 1894
No. 259] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 10, 1972/ASVINA 18, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October 1972

G.S.R. 435(E).—In exercise of the powers conferred by Section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967) the Central Government being of the opinion that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts with effect from 1st October, 1972 to the 31st March, 1973. Shri Om Khosla, son of Shri Divakar Khosla of 1/8 Rowland Road, Calcutta from the operation of clauses (f) and (g) of sub-section (2) of Section 6 of the Passports Act, 1967.

[No. VI/405/1/98/71.]

AVTAR SINGH, Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 1972

जी० एस० आर० 435 (अ).—पारपत्र अधिनियम, 1967 (1967 का पन्द्रहवां) की धारा 22 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और यह मानते हुए कि ऐसा करना जनहित में है, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री ओम खोसला पुत्र श्री दिवाकर खोसला निवासी 1/8, रोलेन्ड रोड, कलकत्ता को पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (च) एवं (छ) के पालन से मुक्त करती है ।

[सं० छह (405)/1/98/71.]

अवतार सिंह, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972